झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

## झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

## झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन हेतु अधिनियम

### प्रस्तावना

जबकि राज्य के शिक्षकों के हित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मापदण्ड को ध्यान में रखकर शिक्षक को पुनः परिभाषित किया जाय;

और, जबकि लिंग आधारित उपस्थिति पंजी में अंतर को भरने के हित में यह अतिसमीचीन है कि एक महिला विश्वविद्यालय कि स्थापना की जाए;

और, जबकि राज्य के शैक्षणिक हित में यह अति समीचीन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के प्रावधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मापदण्ड तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मानदण्ड के अनुरूप हो;

और, जबकि यह राज्य के शैक्षणिक हित में है कि विश्वविद्यालय के अधिषद की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि को आज के मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ पुनरीक्षित किया जाए;

और, जबकि नये परिपेक्ष्य में राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों (धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए प्रावधानों के गठन की आवश्यकता है;

अतएव, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

### अध्याय-01

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह अधिनियम, "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

## अध्याय-02

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-2 के उपधारा-(v)(वी) का प्रतिस्थापनः-

वर्तमान धारा-2 की उपधारा (v) का प्रावधानः-

2 (v) शिक्षक में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हो, शामिल है।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो

2 (v) शिक्षक में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य/ सह-प्राध्यापक/व्याख्याता सेलेक्शन ग्रेड/व्याख्याता सिनियर ग्रेड और व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक (स्तर i, ii, एवं iii) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हो, शामिल है ।

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा (1) (q) का समावेशन ।

निम्नलिखित प्रावधान से समावेशित होः-

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), की धारा-3 की उपधारा (1) (p) के अंत में निम्नलिखित उपधारा (1) (q) के रूप में समावेश किया जायेगा।

''3(1)(q) जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर को स्तरोन्यन कर ''जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर'' होगा एवं जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा ।''

4. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(1) अन्तर्गत धारा-10 की उपधारा-(1)(i) के रूप में समावेशन।

वर्तमान धारा 10 की उपधारा (1) का प्रावधानः-

''ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के पद के लिए योग्य नहीं होगा, जो कि कुलाधिपति की राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षणिक अभिरूचि के लिए विख्यात नहीं हो ।

इसके आगे यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार अथवा विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रशासकीय अनुभव हो''।

निम्नलिखित प्रावधान से समावेशित होः-

10 (1)(i) कुलपति का चयन एक खोज समिति द्वारा समुचित चिन्हितिकरण करके 3-5 नाम वाले पैनल से एक सार्वजनिक अधिसूचना या मनोनयन या एक टैलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिए चिन्हित किया जायेगा। उपर्युक्त खोज समिति के सदस्य किसी भी रूप में संबंधित विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे ।

राज्य के विश्वविद्यालयों हेतु खोज समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

क कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो कि समिति का अध्यक्ष होंगे ।

ख. कुलाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित प्रख्यात शिक्षाविद् - सदस्य

ग. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पदाधिकारी - सदस्य

5. **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा - (2) का प्रतिस्थापन एवं समावेशन ।**

**वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (2) का प्रावधानः-**

"कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जायेगी ।"

**निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः**

**धारा-10 की उपधारा-2 का प्रतिस्थापन**

"धारा 10(2)(i)-कुलाधिपति खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।"

**धारा-10 उपधारा-(2) में समावेशनः-**

"10(2)(ii) खोज समिति द्वारा अनुशंसित पैनल 01 वर्ष के लिए वैध होगा, जिससे कि एक वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति में, जिसमें नियुक्त व्यक्ति प्रथम द्रष्टया में योगदान नहीं दे, कुलपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा उसें अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हटाया गया हो, कुलाधिपति इस पैनल से राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।"

6. **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा -(3)(b) में प्रतिस्थापनः-**

**वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (3)(b) का प्रावधानः**

"इस धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः कुलपति की पदावधि तीन वर्षों की होगी और कथित पदावधि की समाप्ति के पश्चात् वे राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे और वे कुलाधिपति के इच्छा पर पद पर अधिकतम तीन वर्षों तक आसीन रह सकेंगे ।"

**निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-**

**धारा 10 की उपधारा(3)(b) का प्रतिस्थापनः-**

''10 (3)(b) ''इस धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः कुलपति की पदावधि तीन वर्षों की होगी। कुलपति के पद पर आवेदन के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पदावधि के समाप्ति के बाद वे कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श तथा कुलाधिपति के इच्छा पर, अधिकतम तीन वर्षों या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, के लिए पद पर पुनर्नियुक्त किये जा सकेगें।''

7. **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(4)(ii) में प्रतिस्थापनः-**

**वर्तमान धारा-10 की उपधारा-(4)(ii) का प्रावधान**

''यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहाँ उस देय पेंशन की राशि को उन्हें देय पेंशन का अंश माना जायेगा।''

**धारा-10 की उपधारा-(4) (ii) में प्रतिस्थापित हो**

''यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहाँ उस देय पेंशन की राशि को उन्हें देय वेतन एवं भत्ता का अंश माना जायेगा।''

8. **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-12 की उपधारा-(1) का प्रतिस्थापनः-**

**वर्त्तमान धारा 12 की उपधारा (1) का प्रावधानः-**

''कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेगें।''

**निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-**

**धारा-12 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन**

''कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ''कुलपति की नियुक्ति के लिए यथा विहित रीति से ही, प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेंगे।''

9. **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एंव यथा संशोधित) के धारा-18 की उपधारा-(13) का प्रतिस्थापन**

**वर्त्तमान धारा 18 की उपधारा (13) का प्रावधानः-**

''प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार एक या अधिक किस्तों में कम से कम एक लाख रूपये नगद अथवा समकक्ष मूल्य की सम्पत्ति विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय को अथवा उनके हितों के लिए दिया हो।

बशर्त्ते कि कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के आजीवन सदस्य के लिए निहित राशि 25,000 रूपये होगी।''

**निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-**

**धारा-18 की उपधारा (13) का प्रतिस्थापनः-**

''विश्वविद्यालय के अधिषद् के आजीवन सदस्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार दस लाख रूपये नगद अथवा समकक्ष मूल्य की संपत्ति विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय को अथवा उनके हितों के लिए दिया हो।''

**10. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-57A की उपधारा-(1) के प्रावधान के निम्न अंश का प्रतिस्थापन**

''संबंद्ध महाविद्यालयों, जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, में शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर शासी निकाय के द्वारा की जायेगी। ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, हटाया जाना, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिनियम में विहित रीति के अनुरूप की जायेगी।

बशत्र्ते कि धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शासी निकाय शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा मुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे।

बशत्र्ते कि जहां परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक या दक्षता अवरोध पार करना, और आरोपों के अन्वेषणपूर्ण होने तक निलंबन की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग की सलाह की आवश्यक नहीं होगी।''

**57 (A) (1) के उपर्युक्त अंश निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-**

''संबंद्ध महाविद्यालयों, जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, में शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर शासी निकाय के द्वारा की जायेगी। ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, हटाया जाना, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिनियम में विहित रीति के अनुरूप की जायेगी।

बशत्र्ते कि धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शासी निकाय शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा मुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे।

बशर्ते वैसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं हो, धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक सहित के शिक्षकों की प्रोन्नति झारखंड लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

बशत्र्ते कि जहां परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक, या दक्षता अवरोध पार करना, और आरोपों के अन्वेषणपूर्ण होने तक निलंबन की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग की सलाह की आवश्यक नहीं होगी ।"

## उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के शिक्षकों के हित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मानदंड को ध्यान में रखकर शिक्षक को पुनः परिभाषित करने का प्रस्ताव है। साथ ही जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज को स्तरोंनयन कर "जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर" भी बनाने का प्रस्ताव है।

राज्य के शैक्षणिक हित में विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के प्रावधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानदंड तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 उपधारा-(1) में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिषद की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि को आज के मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

नए परिपेक्ष्य में राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों (धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किया जा रहा है।

(डॉ0 नीरा यादव)
भार-साधक सदस्य

---

झा०रा०मु०राँची (विधि) 43(A)--220--22-12-2018